राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा. रा. न. 8 बड़लिया चौराहा, नारेली तीर्थ के समीप,
अजमेर (राज.) 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

Telephone : 0145-2971024
Lat-Long: 26.448, 74.702

No. GECA/2018/81

दिनांक: 2nd August, 2018

माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय
तकनीकी शिक्षा,राजस्थान सरकार.
सचिवालय, जयपुर (राज.)

माननीय महोदय,

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के शिक्षकों द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को संबोधित ज्ञापन (चार पृष्ठ) संलग्न है. उल्लेखनीय है कि राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में गत तीन वर्ष से भी अधिक समय से नियमित प्राचार्य कार्यरत नहीं है. इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षक व कर्मचारी महाविद्यालय से वेतन प्राप्त करते हुए महाविद्यालय के बाहर अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले के दो वर्षों में राजकीय सहायता न मिलने से, तथा शासी परिषद् द्वारा छठी बैठक में राजकीय महिला महाविद्यालय अजमेर के बकाया पौने दो करोड़ से भी अधिक राशि को माफ़ करवाने से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर की वित्तीय स्थिति विकट है, जिसके लिए महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी दोषी नहीं हैं.

विपरीत परिस्थितियों में, वेतन की अनिश्चितता के बाद भी महाविद्यालय के शिक्षक व् कर्मचारी अपनी दक्षता से कार्यरत हैं. महाविद्यालय का NBA द्वारा अपेक्षित स्वमूल्यांकन प्रपत्र दिनांक 30 मई को ही भेजा जा चुका था. TEQIP में व्यय तथा गतिविधियों के लिहाज से भी महाविद्यालय की प्रगति उत्तम है. विद्यार्थियों का गत वर्ष प्रवेश 90% से भी अधिक रहा था, तथा इस वर्ष भी 80% से अधिक प्रवेश होने के पूरे आसार हैं. अन्य महाविद्यालयों की अपेक्षा बेहतर परिणाम देने वाले महाविद्यालय की CAS रुपी प्रोत्साहन में अनदेखी करना संभवत: उचित नहीं होगा.

अत: निवेदन है कि, समर्पण भाव से कार्यरत शिक्षकों को CAS का लाभ देने से उनकी दक्षता में वृद्धि होगी तथा इसमें राज्य के तकनीकी शिक्षा विकास में अधिक योगदान प्राप्त होगा.

भवदीय,

रंजन माहेश्वरी
कार्यवाहक प्राचार्य

ज्ञापन

प्राचार्य
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय
अजमेर

विषयः– राजस्थान सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 22(7)त.शि./2009 पार्ट 1 दिनांक 25/07/18 एवं 26/07/18 में शामिल राज्य के अन्य अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की भांति राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज अजमेर को भी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) का लाभ दिये जाने के लिए तुरन्त प्रभाव से शामिल करने बाबत्।

महादेया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सविनय नम्र निवेदन है कि:–

1. राजस्थान सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मीटिंग नोटिस क्रमांक 22(7)त.शि./2009 पार्ट 1 दिनांक 25/07/18 (संलग्नक–1) एवं 26/07/18 (संलग्नक–2) के अनुसार राज्य के अन्य 5 अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत प्रक्रिया के तहत दिनांक 07 अगस्त 2018 तक ही पूर्ण होनी है। परन्तु **राज्य के सबसे पुराने कॉलेज होने के बावजूद भी राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर एवं एमएलवीटी इन्जिनियरिंग कालेज भीलवाड़ा को कैरियर एड़वांसमेंट स्कीम में शामिल नही किया गया है जो कि किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही है।** जबकि इन दोनों महाविद्यालयों में काफी उच्च योग्यताधारी संकाय सदस्य अध्यापन कार्य कर रहे है जिन्होंने भारत के विभिन्न नामचीन संस्थानों IIT, NIT, University आदि से उच्च योग्यता अर्जित की है।

2. वर्तमान में राज्य के अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की तरह राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर में भी World Bank – MHRD भारत सरकार का प्रोजेक्ट TEQIP-III चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक महाविद्यालय को 10 करोड़ रूपयें का अनुदान प्राप्त होना है। किन्तु TEQIP-III की प्रमुख शर्तों में NBA Accreditation एवं UGC section 2(f) के अनुसार स्वायतत्ता (Autonomy) है। स्वायतत्ता प्राप्त होने पर तो अनुदान राशि 10 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ होगी। **इन दोनों शर्तों की पूर्ति के लिये प्रत्येक महाविद्यालय में वरिष्ठ शिक्षकों (प्रोफेसर एवं एसोसियट प्रोफेसर) का होना अनिवार्य है इस के अभाव में NBA Accreditation एवं स्वायतत्ता (Autonomy) संभव नहीं है।** इसी उद्देश्य से राज्य के अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रोफेसर एवं एसोसियट प्रोफेसर के रिक्त स्थान भरने के लिए CAS की प्रक्रिया पूर्ण की जा रहीं है। **ऐसे में यदि राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है तो महाविद्यालय को World Bank – MHRD भारत सरकार के प्रोजेक्ट TEQIP-III से प्राप्त होने वाले अनुदान राशि 15 करोड़ की आर्थिक हानि होगी।**

3. विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर के प्राचार्य द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग को दिये गये शपथ–पत्र में भी महाविद्यालय में CAS लागू करने के लाभ दर्शाये है परन्तु CAS के लागू करने पर 60 लाख रूपये का आर्थिक भार को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली Block Grant मे जोड़ने का अनुरोध किया गया है। तकनीकी शिक्षा

विभाग द्वारा इस बाबत् एक प्रस्ताव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को अग्रेसित किया गया है। जोकि वित्त विभाग में विचाराधीन है। परन्तु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर एवं एम एल वी टी इन्जिनियरिंग कालेज भीलवाड़ा को **CAS** की प्रक्रिया से बाहर कर अन्य महाविद्यालयों में **CAS** की प्रक्रिया 07 अगस्त तक पूर्ण की जा रही है।

4. नम्र निवेदन है कि मात्र 60 लाख रूपये के कारण 15 करोड़ रूपये के अनुदान का रूकना किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के इस महाविद्यालय के हित मे नहीं है। चूंकि अन्य महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थान (AGP 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000 एवं 9000 से 10000) भरने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत प्रक्रिया दिनांक 07 अगस्त 2018 तक ही पूर्ण होनी है और इन दोनों महाविद्यालयों का प्रकरण वित्त विभाग में लम्बित है, अतः निवेदन है कि राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर को भी इस केन्द्रीयकृत व्यवस्था की प्रशासनिक प्रक्रिया में सम्मिलित कर शिक्षकों को CAS के तहत पदोन्नति दे दी जाये जिससे TEQIP-III की प्रमुख शर्त पूर्ण हो सके तथा आर्थिक परिलाभ का निर्णय वित्त विभाग से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से ले लिया जाये।

आदर सहित

भवदीय
समस्त संकाय सदस्य
राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर

दिनांक 30 जुलाई 2018

(Dr. S. Burhan) (Dr. Pooja Tomar) (Dr. V. C. Jain)
(Dr. Indira Rawat) (Dr. D. Choudhary) (Dr. J. K. Deegwal) (Dr. Rekha Mehra)
(Chandan Sharma)
S. K. Ichinchi
(Dr. D. Sharma)
(Dr. S. Trivedi)
(Deepak Gupta) (H. R. Chudhary) V. P. Sharma
(Harish Badlani) Dr. H. Sharma (S. N. Tazi) (A. K. Tailor)
(S. Singh) (Dr. Amit Chaturvedi) (Vivek Dubey) (Dr. C. P. Jain)
(Mukesh Gupta) (Ajay Dadhich) (Shikha Gupta) (Ujjwal Singh)
(T. K. Aseri) (Dr. Shikha Agarwal) (R. K. Mohan) (Dr. Adarsh Marpat) (Ganpat Singh) (Shalini Walia)

P.T.O.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 22(7)त.शि. / 2009 पार्ट 1 जयपुर, दिनांक 25 जुलाई, 2018

मीटिंग नोटिस

राज्य की अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ दिये जाने हेतु अति0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.5.2018 को आयोजित बैठक के संशोधित कार्यवाही विवरण दिनांक 05.7.2018 अनुसार कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या-3 अनुसार गठित कमेटी की बैठक निम्नानुसार संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा के शासन सचिवालय स्थित कक्ष संख्या 271ए में रखी गई है :-

क0सं0	महाविद्यालय का नाम	दिनांक एवं समय
1	कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एवं टेक्नॉलोजी, बीकानेर	1.8.2018 सांय 03:00 बजे
2	महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	6.8.2018 सांय 03:00 बजे
3	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर	7.8.2018 सांय 03:00 बजे
4	अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर	26.7.2018 सांय 03:00 बजे
5	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड	3.8.2018 सांय 03:00 बजे

कृपया उक्त बैठक में महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत लाभ दिये जाने हेतु वर्ष 2015 तक के पात्र शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में भाग लिया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव सचिव, संयुक्त शासन सचिव, त0शि0
4. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा।
5. प्राचार्य, इंजिनियरिंग कॉलेज, बीकानेर, भरतपुर, महिला अजमेर, झालावाड एवं सीईटी, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 22(7)त.शि./09–I जयपुर, दिनांक, 26 जुलाई, 2018

कार्यवाही विवरण

संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य की अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिको को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ दिये जाने हेतु गठित कमेटी की आज दिनांक 26.7.2018 को सांय 04:00 बजे बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के शैक्षणिक कर्मचारियों को 6000–7000 एजीपी का लाभ दिये जाने के प्रस्ताव रखे गये।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:–

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर
4. श्री अभिषेक लुणायच, सहायक आचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर
5. डॉ महेश बोहरा, सहायक आचार्य, राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।
6. डॉ श्याम सुंदर शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।

उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एजीपी 6000 से 7000 एवं एजीपी 7000–8000 के CAS से संबंधित प्रकरण महाविद्यालय अपने स्तर से विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रोग्राम 25.7.2018 के अनुसार निर्धारित तिथि तक कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें एवं एजीपी 8000–9000 एवं 9000–10000 के प्रस्ताव विषय–विशेषज्ञों की सूची के साथ विभाग में निर्धारित तिथि को उपस्थित होवे।

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
4. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा।
5. प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर/महिला अजमेर/ बीकानेर/ सीईटी बीकानेर/झालावाड़।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.